राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी–2/ए–3/2014/ दिनांक :

अध्यक्ष
राजस्थान केमिस्ट एसोसिएयशन
दवा बाजार, जयपुर।

विषयः– दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 06.08.2014 को समाचार शीर्षक "मर्जी से पेन किलर खाई तो हो गया साइड इफेक्ट" प्रकाशित समाचार के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के फार्माकोलोजी विभाग एवं एथिक्स कमेटी के द्वारा किये गये सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि 80 से 90 प्रतिशत मरीज मनमर्जी से पेन किलर लेते हैं। इस प्रकार सेल्फ मेडीकेशन बीमारी ठीक करने के बजाय बीमारियों को बढाते हैं। आम आदमी की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये यह आवश्यक है कि खुदरा दवा विक्रेता नियमों की कढाई से पालन करें एवं अनुसूची–एच एवं एच–1 की औषधियां केवल चिकित्सक के प्रेस्क्रीप्शन पर ही देवें। इस क्रम में यह सुझाव देना उपयुक्त होगा कि प्रत्येक खुदरा औषधि विक्रेता अपनी दुकान पर इस तरह की सूचना का प्रदर्शन करे कि अनुसूची एच एवं एच–1 की औषधियां केवल चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन पर ही दी जावेगी ताकि आम आदमी को इस संबंध में जानकारी स्वतः मिल सके।

यहां यह लिखना भी उचित होगा कि बिना परिचर्या पत्र के इस प्रकार की औषधियों का विक्रय किये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कार्यवाही की जावेगी। अतः जन सहयोग के इस कार्य में आम आदमी के स्वास्थ्य को अनजाने में पहुंच रही हानि से रोकने के लिये आवश्यक कदम उठायें एवं जिम्मेदार संस्था होने का दायित्व पूरा करें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 6/8/14

क्रमांक : डीसी–2/ए–3/2014/ 598
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन, जयपुर।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Mukesh Ji\Letter 2014.docx